


बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 13.10.09

सं०-2/टी०-50/2009-1363(१)/स्वा०, डा० स्नेहलाता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, का विभागीय अधिसूचना संख्या-1089(2) दिनांक 26.06.2008 द्वारा पटना जिला से शेखपुरा जिले में किये गये स्थानान्तरण को संशोधित करते हुए उन्हें तात्कालिक प्रभाव से टी०बी०डी०सी०, पटना में पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(डा० प्रमोद कुमार)
सरकार के उप सचिव


ज्ञापांक - 2/टी०50/2009- 1363(2) पटना, दिनांक 13.10.09
प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय, मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार/ अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि - संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि - संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/निदेशक, टी०बी०डी०सी०, पटना/ उप महानिरीक्षक, अभियोजन, बिहार, पटना/ संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री/ माननीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के सचिव, स्वास्थ्य / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ उप सचिव, स्वास्थ्य/ प्रशाखा पदाधिकारी, 2,3,7,9 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित ।


सरकार के उप सचिव